न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.न. 77/2010 निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- सरकार बनाम शिवासिंह

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सरकोनाबाग ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 0.10 किस्म चारागाह बारे ग्राम काडमपुरा पर शिवासिंह पुत्र मनोहर जाति कोली निवासी काडमपुरा तहसील बाड़ी ने सम्बत् 2075 रबी/खरीफ में फसल हरको कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि1956की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नहीं आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी शिवासिंह पुत्र मनोहर जाति कोली निवासी काडमपुरा को आ. ख. नं. 487 रकवा 0.10 वारे ग्राम काडमपुरा से तुरन्त प्रभाव से बेदख्सल किया जाता है तथा लगान 2.25 का 50 गुना शास्ती राशि 113/ (अक्षरे रूपेय एक सौ तेरह रु.) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावें। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

113 — 4

24/18

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज